BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 15 अक्टूबर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व 30,000-30,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. यज्ञवीर पुत्र तारा सिंह 2. नेमपाल पुत्र हुंकारी निवासीगण ग्राम नंगला तलवार थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में अपने गांव निवासी रौदास सिंह की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 01.09.2017 को थाना डिबाई पर मुअसं– 330/2017 धारा 302,201,34 भादवि पजीकृत किया गया जिसमे दिनांक 13.11.2017 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 15.10.2024 को न्यायाधीश श्री विनित चौधरी (मा0 न्यायालय एडीजे-अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त यज्ञवीर व नेमपाल को आजीवन कारावास व 30,000-30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री नितिन त्यागी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर